

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 24/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

सा.का.नि.(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52),की धारा 157 के साथ पठित धारा 141 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हैण्डलिंग आफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज रेग्युलेशन्स, 2009 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा विनियम बनाता है, अर्थात्

1. (1) हैण्डलिंग आफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज (संशोधन) रेग्युलेशन्स, 2017 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. हैण्डलिंग आफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज रेग्युलेशन्स, 2009 में, विनियम 6 में, उप-विनियम (i) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) उक्त वस्तुओं के सीमा शुल्क क्षेत्र में आगमन में समय आयातित वस्तुओं के आगमन के संबंध में और इनकी निकासी के पश्चात् इनके प्रस्थान के संबंध में भी उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को सूचना प्रदान करना।

[फा. सं. 450/114/2015-सीमाशुल्क (IV)]

(शैफाली जी. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान विनियम दिनांक 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 26/2009-सीमा शुल्क (गै.टै.) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे तथा इन्हें दिनांक 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 174 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इनमें भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 26 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 822 (अ), द्वारा प्रकाशित दिनांक 26 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 115/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

